

जगद्गुरुरामानन्दाचार्यराजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालय  
मदाऊ, भांकरोटा, जयपुर-302026 (राजस्थान)



## विवरणिका

प्री-शिक्षाशास्त्री (पी.एस.एस.टी.) परीक्षा-2018

# सामान्यदिशानिर्देशिका

संरक्षक

प्रो. आर.के. कोठारी

कुलपति

समन्वयक

डॉ. ललिता शर्मा (RAcS)

कुलसचिव

सह-समन्वयक

डॉ.राजधर मिश्र  
सह आचार्य-व्याकरण

डॉ. सुभाष चन्द्र शर्मा  
सहायक कुलसचिव

---

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम-मदाऊ, पोस्ट-भांकरोटा, जयपुर-302026 (राजस्थान)

हेल्पलाईन नम्बर :-7375808060

इन्टरनेट वैबसाईट <http://jrnsupst.org>

# पीएसएसटी-2018

## महत्वपूर्ण निर्देश

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. पात्रता  | शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत विषय सहित)<br>आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) विषय में | (निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक<br>अर्हता के साथ) |
| 2. प्रवेश परीक्षा (पीएसएसटी 2018) शुल्क 500/- रुपये |   |   |
| 3. फोन परामर्श                                      |   |   |
| (i) हैल्पलाईन न.                                    | 7375808060  |   |
| (ii) हेल्पडेस्क ईमेल                                | jrrsu2018@gmail.com   |   |
| (iii) संबंधित वेबसाइट                               | www.jrrsanskrituniversity.ac.in, http://jrrsupst.org                  |   |
| 4. पीएसएसटी परीक्षा -2018<br>के आयोजन की तिथि       | दिनांक 29 अप्रैल, 2018 (रविवार) दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक             |   |

### पी.एस.एस.टी. के प्रवेश हेतु मार्गदर्शन :-

- प्रतियोगी परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पाठ्यबिन्दु एवं रूपरेखा निम्नानुसार है :-
  - पी.एस.एस.टी. 2018 परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा जिसके चार भाग होंगे।
  - सम्पूर्ण प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।
  - प्रश्न-पत्र की भाषा संस्कृत होगी।
  - प्रश्न-पत्र अवधि 3 घण्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। इसमें Negative Marking नहीं की जावेगी।
  - प्रश्न-पत्र में सभी प्रश्न बहु विकल्पीय न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (आदर्श प्रश्न-पत्र पृ. 12 पर देखें।)
- पाठ्य बिन्दु - (i) संस्कृत भाषा-80 अङ्काः**
  - क. भाषा दक्षता- 50 अंक** (विषय क्षेत्र-उच्चारण स्थान एवं प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप, सन्धि, समास, कृदन्त, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, अपत्यार्थक, मतुप् व णिच् सन्, वाच्य, कारक एवं उपपद् विभक्ति तथा वाक्य शुद्धि)
  - ख. संस्कृत वाङ्मय परीक्षण- 30 अंक** (विषय क्षेत्र- वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, वेदांग, आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय)
  - (ii) सामान्य ज्ञान- 40 अंक** (विषय क्षेत्र- भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक स्थान, भूगोल, पर्यावरण, पुरस्कार, खेल-कूद, विशिष्ट दिवस, समसामयिक घटनाएं तथा राजस्थान प्रान्त के सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान)
  - (iii) मानसिक योग्यता- 40 अंक** (विषय क्षेत्र- मानवीय सम्बन्ध, कार्य-कारण सम्बन्ध, आधार-आधेय सम्बन्ध, संख्या क्रम, आरोह/अवरोह, वर्णमाला क्रम, सांकेतिक भाषा, समय-वार-दिन-घण्टे, दर्पण में समय का अभिप्राय)
  - (iv) शैक्षिक अभिरुचि- 40 अंक** (विषय क्षेत्र- शिक्षक-गुण/कर्तव्य, कक्षा अनुशासन, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण व्यवसाय, शिक्षक भूमिका, शिक्षा के आधार, शिक्षा मनोविज्ञान, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, मूल्य शिक्षा, शिक्षा आयोग एवं शिक्षा समस्याएं।)

सत्र 2018-19 में द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु प्री-शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा 2018 को आयोजित करने के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प10 (3)शिक्षा-4/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2017 के अनुसार जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।

## प्री-शिक्षाशास्त्री टैस्ट-2018

### :: प्रवेश नियम ::

1. राजस्थान के सभी शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्री शिक्षाशास्त्री टैस्ट (पी.एस.एस.टी.) आयोजित होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की शास्त्री/आचार्य परीक्षा में अथवा संस्कृत विषय सहित स्नातक/संस्कृत स्नातकोत्तर परीक्षा में जो इस विश्वविद्यालय की शास्त्री/आचार्य परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो-न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा प्रवेश-अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी पीएसएसटी के माध्यम से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में आवेदन करने योग्य हैं। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक (राज्य सरकार के नियमानुसार) प्राप्त किये हैं वे भी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र हैं। वांछित न्यूनतम प्रतिशत की गणना में एक अंक (प्वाइन्ट में) भी कम स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसा होने पर आवेदक की अभ्यर्थता को निरस्त कर दिया जायेगा। उदाहरणार्थ-सामान्य वर्ग के किसी अभ्यर्थी ने स्नातक/स्नातकोत्तर में वांछनीय विषयों के साथ कुल प्राप्ताकों 500 में से 249 अंक प्राप्त किये हो ऐसी दशा में वह पात्र नहीं है। ऐसे ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने स्नातक/स्नातकोत्तर में वांछनीय विषयों के साथ कुल प्राप्ताकों 500 में से 224 अंक प्राप्त किये हो ऐसी दशा में वह पात्र नहीं है।
2. शिक्षाशास्त्री की कुल सीटों में से 70 प्रतिशत आरक्षण पारंपरिक धारा (शास्त्री/शास्त्री+आचार्य /बी.ए. संस्कृत सहित+आचार्य) उपाधि धारकों के लिए हैं तथा 30 प्रतिशत आरक्षण शास्त्री या आचार्य परीक्षेतर बी.ए. (संस्कृत सहित)/एम.ए. संस्कृत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए हैं।
3. पात्रता परीक्षा शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत सहित) आचार्य/एम.ए. (संस्कृत 2018) तृतीय वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर में बैठने वाले विद्यार्थी भी पीएसएसटी 2018 के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा परीक्षा में बैठ सकते हैं। (एक अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण कर आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पीएसएसटी के लिए पात्र होंगे।) बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम की उपाधि संस्कृत के बिना उत्तीर्ण होने वाले वे अभ्यर्थी जिन्होंने एम.ए. संस्कृत कर लिया हो वे भी पीएसएसटी 2018 के लिए पात्र होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी अंक तालिका आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि उनका निर्देश पुस्तिका में अंकित 10 विषयों में से संस्कृत विषय के अतिरिक्त कोई दूसरा शिक्षण विषय बनता हो। पीएसएसटी की पात्रता (शास्त्री/बी.ए. संस्कृत

आचार्य/एम.ए संस्कृत) परीक्षा प्रविष्ट अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के समय पात्रता परीक्षा की मूल अंक तालिका अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

4. अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कुल स्थानों के अन्तर्गत भी आना चाहिये।
5. पी.एस.एस.टी में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी।
6. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राजस्थान राज्य के मूल निवासी पात्र होंगे परन्तु प्रवेश क्षमता की कुल सीटों में 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के आवेदकों को मेरिट से प्रवेश दिया जा सकेगा बशर्ते राजस्थान से बाहर के आवेदकों की मेरिट किसी विशेष श्रेणी में राजस्थान के अंतिम प्रविष्ट आवेदक की मेरिट (कटऑफ) से कम नहीं हो।
7. उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या में से आरक्षण इस प्रकार किया जायेगा :-

(i) राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये .....16 प्रतिशत

(ii) राजस्थान के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये .....12 प्रतिशत

**नोट :- राजस्थान सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा शिक्षा (गुप-1) विभाग के पत्रांक प 10(6) शिक्षा-1/2007 जयपुर दिनांक 18.02.2010 के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उपरोक्त 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के पांच जिले यथा- बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, उदयपुर एवं सिरोही**

(iii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये .....21 प्रतिशत

(iv) महिला अभ्यर्थी .....20 प्रतिशत (सह शिक्षा महाविद्यालयों में मैरिट के आधार पर) महिला शिक्षा महाविद्यालयों में सभी स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे किन्तु इनमें राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों की अनुपालना की जायेगी। महिलाओं के लिए कुल उपलब्ध स्थानों में 8 प्रतिशत विधवा तथा 2 प्रतिशत विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थियों को आवंटित किये जायेंगे।

(v) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए (मूक-बधिर, शारीरिक विकलांग तथा दृष्टिहीन प्रत्येक को 01 प्रतिशत) न्यूनतम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर .....03 प्रतिशत।

(अ) जहां मेडिकल कॉलेज है वहां के सम्बद्ध विशेषज्ञ रीडर से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

(ब) जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां के सी.एम.एच.ओ से अथवा विशेषज्ञता रखने वाले जूनियर स्पेशलिस्ट से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।

(vi) सेवारत/सेवामुक्त/सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी अथवा उसके वार्ड (आश्रित) के लिये ..... 05 प्रतिशत।

- (vii) कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 15 (24) कार्मिक/क-2/75 दिनांक 07.08.07 के अनुसार विशेष पिछडा (SBC ) को 1 प्रतिशत आरक्षण देय है।

**नियम 07 का स्पष्टीकरण**

- (i) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) वार्ड (आश्रित) से अभिप्रायः- पुत्र, पुत्री, पत्नी/पति है। सगे भाई-बहिन भी रक्षाकर्मी के वार्ड माने जा सकते हैं बशर्ते वे उसके आश्रित हो और उनके माता-पिता जीवित न हों।
- (iii) रक्षाकर्मी या उसके आश्रित के लिए- सचिव, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) परित्यक्ता महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी कि उसने पुनः शादी नहीं की है देना होगा। इसी प्रकार विधवा वर्ग में हाने का ग्राम पंचायत/म्यूनिसिपल बोर्ड के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रावधान मुस्लिम महिला आवेदकों पर भी लागू होगा।
- (v) राजस्थान का मूल निवासी होने के दावे के निर्णय हेतु किसी सक्षम अधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विवाहित महिला के सन्दर्भ में उसके पति का मूल निवास राजस्थान में उसका मूल निवास माना जा सकता है बशर्ते पति के निवास का मूल निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाए और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो परीक्षा में बैठने के लिये भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए।
- (vi) रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित है/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी उन्हें भी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र माना जा सकता है बशर्ते उन्होंने पी.एस.एस.टी में बैठने के लिए भरे गये आवेदन पत्र के साथ अपने संरक्षक नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास का प्रमाण-पत्र संलग्न किया हो। किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देगा और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।
8. पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में से पहले सामान्य सीटों हेतु चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जायेगा और उनकी योग्यता सूची से भरा जायेगा।

9. महाविद्यालय का आवंटन काउन्सलिंग द्वारा किया जायेगा। काउन्सलिंग एवं परीक्षा परिणाम की जानकारी इंटरनेट पर विश्वविद्यालय की वैबसाइट <http://jrrsupst.org> पर उपलब्ध होगी। काउन्सलिंग की समय सारणी समाचार पत्रों एवं ऊपर वर्णित वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे परिणाम की घोषणा के दिन/बाद से प्रमुख समाचार पत्रों एवं ऊपर वर्णित वैबसाइट देखते रहे। काउन्सलिंग के समय आपको वरीयता क्रम महाविद्यालयों का जिनमें आप प्रवेश लेना चाहेंगे, का चयन करते समय यह सावधानी रखनी है कि आप किसी ऐसे महाविद्यालय का नाम नहीं लिखें जहां आपके द्वारा चुने गये अभ्यास शिक्षण (Practice Teaching) का विषय ही उपलब्ध न हो। किन्हीं अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर या काउन्सलिंग के समय जो कॉलेज उनको आवंटित किया जाता है उसे अस्वीकार करने पर वे अपनी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एस. एस.टी में मैरिट का स्थान खो देंगे और पुनः उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा। एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन/स्थानान्तरण व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश परीक्षा (पीएसएसटी 2018) शुल्क 500/- रुपये

काउन्सलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 5000/- रु. समन्वयक पी.एस.एस.टी. 2018 के पक्ष में चालान बनवाकर जमा कराने के पश्चात् ही शिक्षाशास्त्री प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, यदि अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता की स्थिति में गलत तथ्यों यथा उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना, गलत कैटेगरी में अपने आपको पंजीकृत करना आदि के आधार पर पंजीकरण शुल्क जमा करवा कर ऑनलाइन प्रवेश लेने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की सम्पूर्ण पंजीकरण शुल्क 5000/- रुपये जब्त कर ली जावेगी।

केन्द्रीकृत प्रवेश संस्था द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी से फीस के रूप में 26930/- रु. या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क लिये जायेंगे। (5000/-पंजीकरण शुल्क + 21930/- शिक्षण शुल्क कुल राशि रुपये 26930/-) इस राशि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सामूहिक दुर्घटना बीमा की प्रिमियम राशि रुपये 50/- भी ली जावेगी। (यदि राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क की राशि बढ़ायी जाती है तो उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवानी होगी)

अगर चयनित अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होने पर पूर्व में जमा की गई राशि रुपये 5000/- में से रुपये 200/- मात्र, एवं पाठ्यक्रम हेतु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने के सन्दर्भ में जमा की गई कुल शुल्क राशि रुपये 26930/- में से रुपये 600/- मात्र की कटौती की जावेगी।

10. किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा पीएसएसटी 2018 के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा चयनित शिक्षाशास्त्री शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष

जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का दावेदार नहीं हो जाता।

11. महिला अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट के अनुसार महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। महिलाओं को उनकी मैरिट के अनुसार सह शिक्षा वाले महाविद्यालय में भी 20 प्रतिशत तक सीटें आवंटित की जा सकेंगी।

**12. शिक्षण विषय का चयन –**

(i) 'शिक्षण विषय' से अभिप्राय है ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर लिया हो। यह विषय अनिवार्य ऐच्छिक एवं सहायक विषय भी हो सकता है बशर्ते अभ्यर्थी ने इस विषय का कम से कम दो वर्ष तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। शिक्षण विषय में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः स्नातक स्तर के अर्हताकारी विषय—सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य शिक्षा/भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास/प्रारम्भिक गणित आदि जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किये गये हैं या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ़कर द्वितीयादि वर्षों में छोड़ दिया गया हो— शिक्षण विषय के रूप में नहीं माना जायेगा। ऑनर्स स्नातकों के लिये ऑनर्स के विषयों के अलावा सहायक विषय को भी माना जायेगा बशर्ते अभ्यर्थी ने उस विषय का कम से कम दो शिक्षण सत्रों में अध्ययन किया हो और प्रत्येक सत्र के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंक तालिका में पार्ट—II एवं पार्ट—III के प्राप्तांक अलग-अलग दर्शित किये जाकर इनका संकलन (Compilation) होना आवश्यक है।

(ii) शिक्षाशास्त्री में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को एक शिक्षण विषय अनिवार्यतः 'संस्कृत' लेना होगा।

(iii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी स्नातक उपाधि अथवा शास्त्री उपाधि परीक्षा इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान विषय में से कोई दो विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन्हें शिक्षा-शास्त्री परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान, (Social Studies) विषय लेने की अनुमति होगी।

(iv) जिन अभ्यर्थियों ने शास्त्री/बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है वे शिक्षाशास्त्री हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने के पात्र होंगे।

(v) शास्त्री/आचार्य उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षण विषय के रूप में एक विषय संस्कृत शिक्षण और दूसरा विषय जो शास्त्री में आधुनिक विषय के रूप में पढा है, ही ले सकेंगे।

### 13. पात्रता नियमों का स्पष्टीकरण—

- (i) शिक्षा—शास्त्री पाठ्यक्रम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने शास्त्री/आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री संस्कृत ऐच्छिक विषय के साथ उत्तीर्ण की है। बी.ए. में संस्कृत विषय के बिना एम.ए. संस्कृत होने पर भी अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की पात्रता रखता है। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्कृत अतिरिक्त विषय लेकर तीन वर्षों की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की है वे शिक्षाशास्त्री में प्रवेश पाने की पात्रता नहीं रखते हैं। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों में यदि आचार्य/स्नातकोत्तर संस्कृत कर लिया है तथा उसमें न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हैं तो वे इस पाठ्यक्रम की पात्रता रखते हैं।
- (ii) शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों में जो विषय अभ्यास शिक्षण (Pratice Teaching) विषयों में अंकित है उनके अनुसार जो अभ्यर्थी शिक्षण विषय लेने में असमर्थ हैं, उन्हें पीएसएसटी परीक्षा में नहीं बैठना चाहिये।
- (iii) जो अभ्यर्थी पीएसएसटी 2018 के लिए आवेदन—प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि तक पात्रता शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरी नहीं करता है तो उसे पीएसएसटी के लिए आवेदन नहीं करना चाहिये। काउन्सलिंग की तिथि तक निर्धारित पात्रता—परीक्षा की मूल अंक तालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- (iv)(अ) राजस्थान में शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार किसी अभ्यर्थी ने ऐसे महाविद्यालय से (इण्टरमीडिएट के बाद) त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है जहां प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नहीं ली जाती और इस परीक्षा के प्राप्तांक भी द्वितीय वर्ष की प्राप्तांक सूची में श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाते, वह अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एस.एस.टी में बैठने योग्य नहीं है।
- (ब) ऑनर्स स्नातकों के लिये संस्कृत ऑनर्स विषय अथवा सहायक विषय के रूप में संस्कृत होने पर इसे स्नातक स्तर पर कम से कम दो वर्ष पढा हुआ तथा दोनो वर्ष परीक्षा देकर—उत्तीर्ण हुए होने पर पी.एस.एस.टी. परीक्षा में बैठने की पात्रता मिल सकेगी। संस्कृत को एक सहायक विषय के रूप में पढकर एक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर संस्कृत अध्ययन पीएसएसटी की पात्रता नहीं देता।

### 14. सामान्य निर्देश—

- (i) प्रथमतः अभ्यर्थी को पीएसएसटी में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिये क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन—पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक नहीं है। परीक्षा में बैठने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की अपनी है जो उसे शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार उस दशा में नहीं देती, यदि बाद



में यह पता लगे कि वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु या पीएसएसटी में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता क्योंकि पीएसएसटी परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी की अपनी जोखिम है, उसे यदि अंक सूची भी दे दी जाती है तो भी उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता, यदि बाद में वह अपात्र सिद्ध हो जाता है।

- (ii) अभ्यर्थी को पीएसएसटी सामान्य निर्देशिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिये और उनकी पालना करनी चाहिये।
- (iii) परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्नकों (प्रमाण-पत्र/अंक सूची आदि) का मात्र उल्लेख करना और उन्हें नत्थी/संलग्न नहीं करना या आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना दूराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा। एक बार जमा किये गये आवेदन पत्र में यदि अभ्यर्थी बाद में कोई अतिरिक्त सूचना संलग्न कराना चाहता है तो उसे रु. 100/- नकद के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करने पर ही वह सूचना जोड़ी जा सकेगी।
- (iv) पी.एस.एस.टी. का शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य (Refundable) नहीं है। अतः निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।
- (v) शास्त्री/आचार्य उपाधि से अभिप्राय इस विश्वविद्यालय की शास्त्री या आचार्य उपाधि या राजस्थान राज्य में स्थित अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री/आचार्य उपाधि अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के समतुल्य अन्य परीक्षा जो इस प्रयोजनार्थ मान्य हो।
- (vi) पीएसएसटी काउन्सलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी के द्वारा महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के पश्चात् अभ्यर्थियों के द्वारा पाठ्यक्रम सत्र के मध्य में छोड़ने की स्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा जमा पाठ्यक्रम शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य (Refundable) नहीं है।

#### 15. परीक्षा में उत्तर चयन-

- (i) परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तर पत्रक में प्रश्न क्रमांक के अनुरूप **काली स्याही** के बॉल पेन से पूरे गोले को गहरा काला करना है। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिये। एक प्रश्न के उत्तर के लिये केवल एक गोले को गहरा काला करना है। एक बार गोला काला कर या डॉट आदि लगाकर उसे काटा या हटाना उचित नहीं है। एक प्रश्न में उत्तर में यदि एक से अधिक गोलों पर कोई निशान आने पर उस उत्तर को अमान्य माना जाएगा। उत्तर पत्रक पर इधर-उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। उत्तर पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टैस्ट बुकलैट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। कम्प्यूटर स्कैनिंग से मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।

- (ii) टैस्ट बुकलैट विभिन्न समुच्चयों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक उत्तर-पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला करें।
16. सत्र 2018 से कटऑफ मार्क्स जारी नहीं किये जायेंगे।
17. महाविद्यालय का आवंटन:- Upward Mobility प्रक्रिया द्वारा काउन्सिलिंग होगी
- (i) अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पी.एस.एस.टी. 2018 नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (ii) दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट का आधार उनकी स्नातक/स्नोतकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि स्नातक परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्मतिथि को आधार माना जायेगा। यदि इसमें भी किसी प्रकार की समानता पायी जाती है तो उसे अवस्था में प्रश्न-पत्र के विभिन्न भागों में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों को भी आधार बनाया जा सकता है।
- (iii) राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों का महाविद्यालय स्थानान्तरण नहीं होगा।
- (iv) प्रवेशित अभ्यर्थियों के बीच में तथा महाविद्यालय का परस्पर स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।
- (v) Upward Mobility का विकल्प अभ्यर्थियों की श्रेणी में सीटों एवं विषय चयन आदि की उपलब्धता की स्थिति में ही Counselling के अगले क्रम में प्रदान किया जायेगा।
- (vi) It was decided that option of upward mobility shall be provided subject to availability of seats in category, subject choice etc of the candidate in subsequent round of conselling.
18. आवेदन-पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश-
- निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात बेवसाईट से ऑनलाईन आवेदन नहीं किये जा सकेंगे।
19. आवेदन पत्र के साथ संलग्नक-(आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के दौरान प्रस्तुत करना है।)
- (i) अर्हक परीक्षा की सभी अंक तालिकाओं की फोटों प्रतियां, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने पद की मुद्रा सहित प्रमाणीकृत हो।
- (ii) सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र व अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
- (iii) मूल निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
- (iv) आरक्षण श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण-पत्र।
- (v) किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

- (vi) प्रवेश पत्र वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त किये जा सकेंगे किसी स्थिति में प्रवेश पत्र न मिलने पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से अपना प्रवेश पत्र (एडमिशन कार्ड) परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व उसे आवंटित परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क कर वांछनीय दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्राप्त कर लेना चाहिये। प्रवेश पत्र (एडमिशन कार्ड) में आवंटित केन्द्र का उल्लेख रहता है।
- (vii) परीक्षा के उत्तर पत्रक किसी भी स्थिति में किसी न्यायालय (सिविल अथवा क्रिमिनल) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे न ये अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- (viii) न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों में सत्र 2018-18 हेतु प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर की है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरुद्ध प्रवेश से संबंधित न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

**20. परिणाम की घोषणा-**

- (i) परीक्षा परिणाम <http://jrrsupst.org> पर उपलब्ध होगा।
- (ii) अभ्यर्थी की अंक सूची व अन्य सूचनाएँ ऊपर वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

21. पीएसएसटी-2018 से संबन्धित नवीनतम सूचना के लिए समय-समय पर वेबसाईट <http://jrrsupst.org> का अवलोकन करते रहे, अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

**महत्वपूर्ण सूचना**

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कानून के अनुसार एक अपराध है। तदनुसार प्री-शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना तथा उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहयोग करने वालों को 03 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/-रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजायें हो सकती हैं।

**डॉ. सुभाष चन्द्र शर्मा**  
सह-समन्वयक, पीएसएसटी

**डॉ. राजधर मिश्र**  
सह-समन्वयक, पीएसएसटी

**डॉ. ललिता शर्मा**  
कुलसचिव एवं समन्वयक, पीएसएसटी

आदर्श-प्रश्न-पत्रम् पीएसएसटी-2018  
पूर्णांक : 200

1. संस्कृतभाषा-80 अङ्काः

'क' भागः भाषा दक्षता- 50 अङ्काः

1. ह्रस्वस्वराः कति भवन्ति?  
अ. पंच                      ब. नव                      स. अष्टौ                      द. त्रयोदश
2. दीर्घसन्धियुतं पदमस्ति?  
अ. वृकोदरः                      ब. मधूदकम्                      स. मातृच्छेदः                      द. वध्वागमनम्
3. 'दधि+अत्र' इत्यस्य सन्धिः भविष्यति?  
अ. दधीत्र                      ब. दध्यत्र                      स. दध्यात्र                      द. दधि अत्र
4. 'त्रिलोकी' इति पदे समासः कः?  
अ. बहुव्रीहिः                      ब. द्विगुः                      स. कर्मधारयः                      द. द्वन्द्वः
5. 'परमानन्दः' इति पदस्य विग्रहवाक्यं दर्शय-  
अ. परमः च असौ आनन्दः                      ब. परमं च आनन्दं च  
स. परमश्च आनन्दश्च                      द. परमः आनन्दः यस्य
6. 'भर्ता' अस्य तुमुन्नन्तं रूपं वर्तते-  
अ. भरितुम्                      ब. भर्तुम्                      स. भ्रष्टुम्                      द. भारयितुम्
7. 'अध्यापकः' अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः?  
अ. घञ् प्रत्ययः                      ब. ण्वुल प्रत्ययः                      स. कप् प्रत्ययः                      द. णमुल प्रत्ययः
8. 'दा' धातोः लटि प्रथमपुरुषबहुवचने रूपं भवति-  
अ. ददन्ति                      ब. दाष्यन्ति                      स. दादन्ति                      द. ददति
9. 'येनाङ्ग विकारः' इत्यनेन विभक्ति आयाति-  
अ. द्वितीया                      ब. तृतीया                      स. चतुर्थी                      द. पंचमी
10. शुद्धं वाक्यमस्ति-  
अ. मातारं स्मरति शिशुः                      ब. शिशोः मातरं स्मरति                      स. स्मरन्ति मातरं शिशुः                      द. मातुः स्मरति शिशुः

'ख' भागः संस्कृतवाङ्मयपरीक्षणम्- 30 अङ्काः

1. आदिकाव्यमस्ति-  
अ. रामचरितमानसम्                      ब. महाभारतम्                      स. रामायणम्                      द. रघुवीरचरितम्
2. 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' इति पद्यांशो वर्तते-  
अ. रघुवंशे                      ब. महाभारते                      स. रामायणे                      द. कुमारसम्भवे
3. 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' केन कथितम्-  
अ. दण्डिना                      ब. विश्वनाथेन                      स. मम्मटेन                      द. भरतमुनिना
4. 'भट्टिकाव्यमिति' प्रसिद्धिः कस्य?  
अ. शिशुपालवधस्य                      ब. रावणवधस्य                      स. नैषधीयचरितस्य                      द. मध्यमव्यायोगस्य
5. भारवेः काव्यमस्ति-  
अ. शिशुपालवधम्                      ब. किरातार्जुनीयम्                      स. नैषधीयचरितम्                      द. रघुवंशम्

6. 'बृहत्कथामञ्जरी' इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य लेखको वर्तते—  
 अ. विष्णुशर्मा                      ब. क्षेमेन्द्रः                      स. नरेन्द्रः                      द. बिल्हणः
7. 'श्रीमद्भगवाद्गीता' महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति—  
 अ. उद्योगपर्वणि                      ब. शान्तिपर्वणि                      स. महाप्रस्थानपर्वणि                      द. भीष्मपर्वणि
8. 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' अत्र वृत्तमस्ति—  
 अ. वंशस्थम्                      ब. उपजातिः                      स. अनुष्टुप्                      द. इन्द्रवज्रा
9. 'हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः स्वर्गाङ्गामवगाहते' अत्र अलङ्कारोस्ति—  
 अ. उपमा                      ब. उत्प्रेक्षा                      स. अनन्वयः                      द. रूपकम्
10. दशरूपकेषु इदं नास्ति—  
 अ. नाटकम्                      ब. भाणः                      स. बिन्दुः                      द. डिमः

## 2. सामान्यज्ञानम्— 40 अङ्काः

1. 'चम्बल नद्यः' उद्गमस्थलं कस्मिन् प्रदेशे वर्तते?  
 अ. गुजरातप्रदेशे                      ब. मध्यप्रदेशे                      स. राजस्थानप्रदेशे                      द. महाराष्ट्रप्रदेशे
2. 'अन्ताराष्ट्रियमहिलादिवसः' — समाचरते—  
 अ. मार्च मासे अष्टम्यां तिथौ                      ब. अप्रैल मासे अष्टम्यां तिथौ  
 स. मार्च मासे दशम्यां तिथौ                      द. अप्रैल मासे दशम्यां तिथौ
3. राजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापना कदा जाता?  
 अ. 2001 तमे वर्षे                      ब. 2000 तमे वर्षे                      स. 2002 तमे वर्षे                      द. 1999 तमे वर्षे
4. 1991 तमे ई. वर्षे 'नोबेल' शान्तिपुरस्कारः केन प्राप्तः?  
 अ. दलाईलामा महोदयेन                      ब. सू.ची.आंग सान महोदयेन  
 स. गोर्बाचोव महोदयेन                      द. विल्सन नेल्सन मंडेला महोदयेन
5. 'मीनाक्षी—मन्दिरम्' कस्मिन् राज्ये अस्ति?  
 अ. कर्नाटके                      ब. तमिलनाडु राज्ये                      स. आन्ध्रप्रदेशे                      द. केरलराज्ये
6. 'मैगसेसे पुरस्कारः' कस्य स्मृतौ दीयमानोऽस्ति?  
 अ. अमेरिका देशस्य भूतपूर्व—राष्ट्रपतेः                      ब. फिलीपीन्स देशस्य भूतपूर्व—राष्ट्रपतेः  
 स. ग्रेटब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणः                      द. पाकिस्तान देशस्य प्रधानमन्त्रिणः
7. भारते 'उपग्रहप्रक्षेपणकेन्द्रं' कुत्रास्ति?  
 अ. कोटानगरे                      ब. श्रीहरिकोटास्थाने                      स. बेंगलूरनगरे                      द. त्रिचूरनगरे
8. शरीरे अस्थिनां संख्या कियती?  
 अ. 216                      ब. 206                      स. 203                      द. 214
9. भारतीयखगोलविज्ञानी कः?  
 अ. भास्कराचार्यः                      ब. वराहमिहिरः                      स. आर्यभट्टः                      द. आर्यशूरः
10. 'गीताञ्जलिः' कृतिरस्ति—  
 अ. सुरेन्द्रनाथस्य                      ब. महेन्द्रनाथस्य                      स. देवेन्द्रनाथस्य                      द. रवीन्द्रनाथस्य

### 3. मानसिकयोग्यता – 40 अङ्काः

1. शृङ्खलायाः क्रमं पूरयत— ३, ५, १०, १२, २४, २६?  
अ. २८                      ब. ४८                      स. ३०                      द. ५२
2. कस्याञ्चित् सङ्केतभाषायां SOHAN इति पदं RPGBM लिख्यते चेत् तस्यामेव संकेत भाषायां RATAN इति पदस्य लेखनं कथं भविष्यति—  
अ. SBSBM      ब. QBSAM      स. QZSZM                      द. QBSBM
3. प्रथमपदेन सह द्वितीयपदस्य यः सम्बन्धः अस्ति तमेव सम्बन्ध तृतीयापदेन सह संस्थापयत—  
नाटकम्—निर्देशकः, समाचारपत्रम्—?  
अ. व्यवस्थापकः                      ब. सम्पादकः                      स. सम्वाददाता                      द. अधिष्ठाता
4. मम वयः मदीयभ्रातुः वयसः द्विगुणात् ४ वर्षाणि न्यूनम् अस्ति। यदि मम वयः १८ वर्षाणि तर्हि मम् भ्रातुः वयः कियत् अस्ति।  
अ. ६ वर्षाणि                      ब. १० वर्षाणि                      स. १४ वर्षाणि                      द. ११ वर्षाणि
5. घटयाम् इदानीं ६ वादनम्। यदि घण्टा सूचिका पूर्वदिशं प्रति दृश्यते तर्हि क्षणनिदर्शिका सूची कां दिशं प्रति स्यात् ?  
अ. पूर्वदिशं                      ब. पश्चिम दिशं                      स. उत्तरदिशं                      द. दक्षिणदिशं
6. वर्षे गणतन्त्र—दिवसः यदि रविवासरे आयाति तर्हि नूतन वर्षारम्भः कस्मिन् वासरे भविष्यति?  
अ. बुधवासरे                      ब. शुक्रवासरे                      स. मंगलवासरे                      द. गुरुवासरे
7. यदि 'अ' इत्यस्य भ्राता 'ब' अस्ति, 'ब' इत्यस्य भगिनी 'स' अस्ति 'द' इत्यस्य भ्राता 'इ' अस्ति तथा 'द', 'अ' इत्यस्य पुत्री अस्ति तदा 'इ' इत्यस्य पितृव्यः कः ?  
अ. द                      ब. स                      स. ब                      द. कोऽपि नास्ति
8. एकं रेलयानं यात्रायाः अर्धभागं ३० मील प्रति घण्टात्मिकया गत्या पूरयति, शेषार्धभागं च ६० मील प्रति घण्टात्मिकया गत्या पूरयति। यदि पूर्णम् अन्तरालं २० मील आसीत् तर्हि एतत् पूरयितुं यानं कियन्ति पलकानि स्वीकरिष्यति?  
अ. ६०                      ब. ४५                      स. ३०                      द. १०

### 4. शैक्षिकाभिरुचिः – 40 अङ्काः

1. छात्रैः सह व्यवहारे किम् अधिकं महत्वपूर्णम्?  
अ. प्रभुत्वम्                      ब. क्षमा                      स. धृतिः                      द. सहानुभूतिः
2. कश्चित् छात्रः प्रतिदिनं सविलम्बमायाति तर्हि शिक्षकः किं कुर्यात्?  
अ. विलम्बकारणं विज्ञाय समयेनागमनाय प्रेरयेत्।                      ब. प्रधानाध्यपकदृष्टिमानयेत्।  
स. शारीरिकदण्डेन दण्डयेत्।                      द. मातापितृभ्यः सूचयेत्।
3. पाठान्तर्गतं किमपि विषयवस्तु दुरुहं कठिनं च अतः भवान्—  
अ. अप्रष्टव्योऽध्याय इति छात्रान् सूचयिष्यति।                      ब. यथामति अध्यापयिष्यति।  
स. तस्य मुख्यबिन्दून् एव अध्यापयिष्यति।                      द. सम्यक् अभ्यस्य पुनः अध्यापयिष्यति।
4. शिक्षकव्यवसायोद्देश्यमस्ति—छात्राणाम् आजीविकार्जनाय शिक्षणम्—  
अ. न हि                      ब. आम्                      स. प्रायशः                      द. वक्तुं न पारयामि
5. राजस्थाने तृतीयभाषारूपेण इमाः पाठ्यन्ते—  
अ. सिन्धी—उर्दु—गुजराती                      ब. राजस्थानी—उर्दु—सिन्धी  
स. संस्कृत—सिन्धी—उर्दु                      द. उर्दु—गुजराती—ढूढारी

6. शिक्षकस्येदं कर्तव्यम्—  
अ. कक्षाप्रकोष्ठे शयनम्                      ब. छात्रैः सह वादोपवादः  
स. अन्धैरध्यापकैः सह कलहः              द. आत्मना पाठ्यमाने विषये प्रावीण्यधारणम्
7. शिक्षकः शिक्षणे मनोविज्ञानम् आश्रयेत्—  
अ. सम्भवतः      ब. सर्वदा              स. नैव              द. प्रायः
8. आवर्ष शिक्षणव्यवस्थायाः सुसञ्चालनाय प्राधानाचार्यः—  
अ. छात्रान् अनुशासने स्थातुं आदेक्ष्यति ।      ब. शिक्षकान् यथासमयं विद्यालये आगन्तुम् आदेक्ष्यति ।  
स. वार्षिकपाठयोजनां निर्मास्यति ।              द. उपर्युक्तं सर्वम् ।
9. मार्गे कलहं कुर्वतोः छात्रयोः भवान् केवलं कलहकारणं ज्ञास्यति—  
अ. वक्तुम् अशक्यम्      ब. आम्              स. नैव              द. सम्भवतया
10. अधोलिखितेषु शिक्षायाः मुख्यमङ्गम्—  
अ. छात्रः              ब. शिक्षकः              स. पाठ्यक्रमः              द. विद्यालयः
-

**शिक्षाशास्त्री हेतु विद्यालय शिक्षण विषय  
विषय**

हिन्दी  
अंग्रेजी  
सामाजिक अध्ययन  
नागरिक शास्त्र  
भूगोल  
इतिहास  
अर्थशास्त्र  
गृहविज्ञान  
गणित  
संस्कृत

**परीक्षा केन्द्र का नाम  
परीक्षा केन्द्र**

जयपुर  
अजमेर  
उदयपुर  
अलवर  
सीकर  
कोटा  
बांसवाड़ा

**जिले का नाम  
जिला**

अजमेर  
अलवर  
बांसवाड़ा  
बाडमेर  
भरतपुर  
भीलवाड़ा  
बीकानेर  
बूंदी  
चित्तौड़गढ़  
चूरू  
डूंगरपुर  
जयपुर  
जैसलमेर  
जालोर  
झुंझुनू  
झालावाड़  
जोधपुर  
कोटा  
नागौर  
पाली  
सवाईमाधोपुर  
सीकर  
सिरोही  
श्रीगंगानगर  
टोंक  
उदयपुर  
धौलपुर  
बांरा  
दौसा  
राजसमन्द  
हनुमानगढ़  
करोली  
प्रतापगढ़

**स्नातक परीक्षा के विषय कोड  
विषय**

नागरिक शास्त्र  
अर्थशास्त्र  
अंग्रेजी  
भूगोल  
हिन्दी  
इतिहास  
गणित  
संस्कृत  
समाजशास्त्र  
राजनीति विज्ञान  
लोकप्रशासन  
दर्शनशास्त्र  
मनोविज्ञान  
गृहविज्ञान